**20**

**सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति**

**(2020-21)**

**सत्रहवीं लोक सभा**

**संचार मंत्रालय**

**(डाक विभाग)**

# ['अनुदानों की मांगों (2020-21)' पर समिति के सातवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

**बीसवां प्रतिवेदन**

**लोक सभा सचिवालय**

**नई दिल्ली**

**फरवरी, 2021/ माघ, 1942 (शक)**

# बीसवां प्रतिवेदन

## सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

## (2020-2021)

## सत्रहवीं लोक सभा

## संचार मंत्रालय
## (डाक विभाग)

**['अनुदानों की मांगों (2020-21)' संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]**

**8-2-2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।**

**8-2-2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।**

**लोक सभा सचिवालय**

**नई दिल्ली**

**फरवरी, 2021/ माघ, 1942 (शक)**

## विषय सूची


| | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| **समिति की संरचना** | | (ii) |
| **प्राक्कथन** | | (iii) |
| अध्याय I | प्रतिवेदन..... | |
| अध्याय II | टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है..... | |
| अध्याय III | टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती..... | |
| अध्याय IV | टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है..... | |
| अध्याय V | टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं..... | |
| | **अनुबंध** | |
| I. | 25 नवंबर, 2020 को आयोजित समिति की सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश। | |
| II. | सातवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण। | |

## सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

**डॉ. शशि थरूर - सभापति**

**लोक सभा**

2. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
3. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
4. श्री सन्नी देओल
5. डॉ. निशिकांत दुबे
6. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
7. डॉ. सुकान्त मजूमदार
8. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
9. सुश्री महुआ मोइत्रा
10. श्री पी. आर. नटराजन
11. श्री संतोष पान्डेय
12. श्री निशीथ प्रामाणिक
13. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
14. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
*15. श्री जयदेव गल्ला
16. श्री संजय सेठ
17. श्री चंदन सिंह
18. श्री तेजस्वी सूर्या
19. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन
20. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
#21. श्रीमती सुमलता अम्बरीश

**राज्य सभा**

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. डॉ. सुभाष चन्द्र
24. श्री वाई. एस. चौधरी
25. श्री शक्तिसिंह गोहिल

26. श्री सुरेश गोपी
27. श्री मो. नदीमुल हक
28. श्री सैयद नासिर हुसैन
29. श्री सैयद जफर इस्लाम
30. डॉ. नरेन्द्र जाधव
31. श्री नबाम रेबिआ

**सचिवालय**

1. श्री वाई. एम. कांडपाल - संयुक्त सचिव
2. श्री शांगरिसो जिमिक - उप सचिव
3. श्रीमती रिंकू अवस्थी - सहायक कार्यकारी अधिकारी

---

* समाचार भाग – दो दिनांक 15.10.2020 के तहत 15.10.2020 से समिति में नामनिर्देशित

# समाचार भाग - दो दिनांक 28.12.2020 के तहत 28.12.2020 से समिति में नामनिर्देशित

## प्राक्कथन

मैं, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से संचार मंत्रालय (डाक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' पर समिति के सातवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियां/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. सातवां प्रतिवेदन 13 मार्च, 2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन इसे राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया। डाक विभाग ने 1 6जुलाई, 2020 को प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अपनी की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत की।

.3समिति की 25नवंबर 2020 ,को हुई बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया गया और उसे स्वीकृत किया गया।

.4संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अध्याय - एक में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

.5समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण अनुबंध-दो पर दिया गया है।

**नई दिल्ली;** **डॉ. शशि थरूर,**

**4 फरवरी, 2021** **सभापति,**

**15 माघ, 1942 (शक)** **सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति**

## अध्याय -एक

## प्रतिवेदन

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें' (2020-21) पर समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित है।

2. सातवां प्रतिवेदन 13 मार्च, 2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया। इसमें 14 टिप्पणियां/सिफारिशें थी। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर डाक विभाग से प्राप्त हो गए हैं और इन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया गया है -

1. सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है
   पैरा सं. 1, 2, 4, 5, 6 और 9 — कुल संख्या 6
   अध्याय दो
2. सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती
   पैरा सं. 8 — कुल संख्या 01
   अध्याय तीन
3. सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार का उत्तर स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है
   पैरा सं. 7, 13 और 14 — कुल संख्या 03
   अध्याय चार
4. सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरमि प्रकृति के हैं
   पैरा सं. 3, 10, 11 और 12 — कुल संख्या 04
   अध्याय पांच

3. **समिति को विश्वास है कि सरकार द्वारा स्वीकार किए गए टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अत्यधिक महत्व दिया जाएगा। समिति यह भी चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय - एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण उसे यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाए।**

4. समिति अब अपनी कुछ सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी ।

**सिफारिश (पैरा सं. 7)**

5. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की थी -

"समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि सुरक्षा पर संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार 2019-20 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 2000 बीओ खोलने के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि वित्त मंत्रालय ने इन बीओ के लिए आवश्यक शाखा पोस्टमास्टरों/ सहायक शाखा पोस्टमास्टरों के पद सृजित करने की अनुमति नहीं दी। समिति ने नोट किया कि एलडब्ल्यूई जिलों में 2000 शाखा डाकघरों को खोलने के लिए अपेक्षित पदों की मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय से पहले ही अनुरोध किया है, लेकिन उनके द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई। विभाग एलडब्ल्यूई जिलों में 2063 डाकघर खोलने के बजट अनुमान लक्ष्य के विरूद्ध केवल 231 डाकघर और उत्तर-पूर्व में 16 डाकघर खोलने के बजट अनुमान लक्ष्य के विरुद्ध 2 डाकघर खोला जा सका जो कि दु:खद है। बीई 2020-21 में एलडब्ल्यूई क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य 2355 है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह 18 है। यह स्थिति एलडब्ल्यूई क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों की उपेक्षा का संकेतक है। समिति यह नहीं समझ पा रही है कि वित्त मंत्रालय ने परियोजना से संबंधित पदों के सृजन की अनुमति क्यों नहीं दी, जिसका अधिदेश पहले ही सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दे दिया था। इससे न केवल एलडब्ल्यूई क्षेत्रों और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में डाक सेवाओं के विस्तार संबंधी परियोजना को लागू करने में देरी हुई, जो कि वंचित क्षेत्र हैं, बल्कि इससे सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल

समिति के निर्णय को भी पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। यह देखते हुए कि एलडब्ल्यूई और एनईआर दोनों क्षेत्रों में विभिन्न कमियों का सामना करना पड़ रहा है, समिति की इच्छा है कि इन क्षेत्रों में 2373 डाकघर जल्द खोला जाए। तदनुसार, इस संबंध में समिति की चिंता से वित्त मंत्रालय को अवगत कराया जाए ताकि अपेक्षित पदों के सृजन की मंजूरी यथाशीघ्र दी जा सके। समिति की यह भी इच्छा है कि वे सभी डाकघर जो अलाभप्रद स्थानों पर स्थित हैं, उन्हें अधिक उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए और नए डाकघर खोलने के दौरान सभी के लिए स्थानगत लाभ के बारे में पर्याप्त ध्यान रखा जाए।''

6. डाक विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन में निम्नवत बताया :

''चालू वित्तीय वर्ष (2020-21) के दौरान भी, वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 2000 शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में इन शाखा डाकघर खोलने के लिए वित्त मंत्रालय (एमओएफ) से अनुमोदन मांगा गया है। यह मामला अभी भी वित्त मंत्रालय के पास लंबित है। माननीय संचार मंत्री ने प्रस्ताव के शीघ्र अनुमोदन के लिए इस मामले को अर्ध-सरकारी रूप से, 03.06.2020 को माननीय वित्त मंत्री के समक्ष उठाया है।''

7. **इस बात को नोट करते हुए कि वर्ष 2019-20 के दौरान 2000 डाकघर खोलने के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका क्योंकि वित्त मंत्रालय ने इन शाखा डाकघरों के लिए पद सृजित करने की अनुमति नहीं थी और विभाग ने वर्ष 2020-21 के दौरान एल.डब्ल्यू.ई. क्षेत्रों में 2355 और पूर्वोत्तर में 18 डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया था, समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि एलडब्ल्यूई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इन डाकघरों को खोलने को यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाए। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि वित्त मंत्रालय को समिति की चिंता से अवगत करा दिया जाए ताकि अपेक्षित पदों के सृजन के लिए अनुमति शीघ्र दी जाए और असुविधाजनक स्थानों पर स्थित डाकघरों को और अधिक उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित किया जा सके। तथापि, समिति यह नोट करके चिंतित है कि पदों के सृजन के लिए अनुमति का मामाला अभी भी वित्त मंत्रालय के पास लंबित है। विभाग ने अब समिति को सूचित किया है कि माननीय संचार मंत्री ने**

**प्रस्ताव को शीघ्र अनुमोदन देने के लिए 03.06.2020 को अर्द्ध-सरकारी रुप से यह मामला माननीय वित्त मंत्री जी के साथ उठाया है। समिति यह नहीं समझ पाई है कि एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में 2000 शाखा डाकघर खोलने के लिए पदों के सृजन हेतु वित्त मंत्रालय ने अभी तक अनुमति क्यों नहीं दी है जबकि मंत्रिमंडल सुरक्षा समिति ने इसे पहले ही अनुमोदित कर दिया है। वित्त मंत्रालय को न केवल इस असाधारण विलंब के लिए बल्कि मंत्रिमंडल सुरक्षा समिति के अधिदेश का सम्मान न करने के लिए समिति को उचित उत्तर देना चाहिए। असुविधाजनक स्थानों पर स्थित डाकघरों को अधिक उचित स्थानों पर स्थानांतरित करने की समिति की सिफारिशों पर विभाग ने कोई उत्तर नहीं दिया है। समिति का विचार है कि विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्रों में असुविधाजनक स्थानों पर स्थित डाकघरों को अधिक उचित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। इससे न केवल आम लोगों को लाभ होगा बल्कि दक्षता भी बढ़ेगी और विभाग के संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इस बात पर विचार करते हुए कि समिति की सिफारिशों के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। समिति चाहती है कि वित्त मंत्रालय को एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में 2000 शाखा डाकघर खोलने के लिए पदों हेतु शीघ्र अनुमोदन के लिए कहा जाए और उससे यह भी कहा जाए कि मंत्रिमंडल सुरक्षा समिति द्वारा अनुमति दिए जोन के बाद इसमें असाधारण विलंब के क्या कारण हैं। समिति का विचार है कि चूंकि एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में अनेक कठिनाइयां हैं वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसे विलंब को आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता है और वित्त मंत्रालय को इस विलंब के लिए समिति को स्पष्टीकरण देना चाहिए। विभाग द्वारा असुविधाजनक स्थानों पर स्थित डाकघरों की पहचान करने के लिए सद्प्रयास किए जाने चाहिए और उन्हें अधिक उचित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। समिति आशा करती है कि विभाग समिति की सिफारिशों पर वास्तव में ध्यान देगी।**

## <u>सिफारिश संख्या 13</u>

**डाकघर बचत बैंक में निष्क्रिय खाते**

8. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की थी -

‘‘समिति यह नोट करती है कि 30.09.2019 तक, डाकघर बचत बैंक में 1.61 करोड़ सुप्त/निष्क्रिय खाते (डाकघर बचत प्रमाणपत्र सहित) हैं जिनमें कुल जमा राशि 12037.21 करोड़ रूपए हैं। इनमें से 1.02 करोड़ परिपक्व हो चुके अदावा प्रमाणपत्र हैं जिनका मूलय 5475.93 करोड़ रूपए हैं। समिति को यह बताया गया है कि वित्त मंत्रालय जो इन निधियों को नियंत्रित करता है, ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए बैंकों और डाकघरों में पड़ी अदावित राशि का उपयोग करने के लिए वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि नियम जारी किए हैं। निर्धारित मानदंडों के तहत आने वाले सभी खातों को इंडिया पोस्ट वेबसाइट पर भी सभी संबंधितों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। ऐसे मामलों के निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और ऐसे खातों की सूची भी सर्किलों (पोस्ट ऑफिस वार) के साथ साझा की गई है और सर्कलों को व्यापक प्रचार के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देने का भी निर्देश दिया गया है। उन्हें डाकघरों में कार्यालय सूचना पट्टों पर लगाने और डाकिया, ग्रामीण डाक सेवकों और लघु बचत एजेंटों के माध्यम से डोर टू डोर अभियान चलाने के लिए भी कहा गया है। नियमित निगरानी की जा रही है और उस पर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर्कलों के साथ एक गूगल स्प्रेडशीट भी साझा की गई है। हालांकि, सच्चाई यह है कि अब तक 55.99 लाख रूपए के मात्र 201 ऐसे खातों का निपटान किया गया है। यह आंकड़ा बेहद कम है।

समिति को विभाग की ओर से यह पूरी तरह से अनुचित और नैतिक रूप से गलत लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में निष्क्रिय खाते अभी भी मौजूद हैं। विभाग द्वारा किया गया प्रयास बहुत कम है क्योंकि अभी तक, कुल निष्क्रिय खातों की संख्या का मात्र 0.001 प्रतिशत ही निपटाया गया है। इसलिए, समिति का सुझाव है कि सही मालिकों को धन लौटाने के लिए समाचार पत्रों और संचार के अन्य साधनों में विज्ञापनों/कानूनी नोटिसों के माध्यम से जीवित खाता धारकों और/या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/ नामांकित लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया जाना चाहिए। समिति को आश्चर्य है कि इतनी बड़ी संख्या में निष्क्रिय खाते अभी भी मौजूद हैं और यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा फिर न हो, किसी भी खाते को खोलने या कड़े केवाईसी मानदंडों और नामिती का पदनाम के माध्यम से इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के समय पूर्वगामी कार्रवाई

पर नियमित रूप से विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, समिति को उम्मीद है कि विभाग इस मामले में कुछ प्रत्यक्ष प्रगति करेगा और लावारिस निधियों को उनके सही मालिकों को लौटाने में हुई प्रगति से उसे अवगत कराया जाएगा।''

9. विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है :

''विभाग ने अदावा खातों के निपटान के लिए वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि नियमों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित स्कीम के अनुसार त्वरित कार्रवाई की है। अदावा खातों के ब्यौरे विभाग की वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर प्रकाशित किए गए हैं। मामलों को प्रोसेस करके इनका निपटान करने के लिए विस्तृत एसओपी तैयार कर ली गई है तथा तदनुसार इसे क्षेत्रीय स्थापनाओं के साथ अनुपालनार्थ साझा किया गया है। सर्कलों को, व्यापक प्रचार के लिए स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अदावा खातों के ब्यौरे विज्ञापित करने के लिए अनुदेश दिए गए हैं। इन ब्यौरों को डाकघरों के सूचना पट्टों पर भी दर्शाया गया है। बीट पोस्टमैन/ग्रामीण डाक सेवकों के जरिए घर-घर अभियान चलाया गया है ताकि ग्राहकों/कानूनी उत्तराधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जा सके, जिससे कि वे अपने दावे प्रस्तुत कर सकें। समिति के सातवें प्रतिवेदन में निहित अनुदेशों के मद्देनजर अब हम जमाकर्ताओं/दावेदारों में अदावा खातों के व्यापक प्रचार के लिए इस कार्रवाई में और तेजी ला रहे हैं। सर्कलों को पुन: अनुदेश दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वे इस काम में और तेजी लाएं ताकि अधिकतम दावों में कार्रवाई करके उनका निपटान किया जा सके। निगरानी की प्रक्रिया को भी मजबूत किया जा रहा है। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप 31.03.2020 तक 417 जमाकर्ताओं को उनकी देय राशि का भुगतान कर दिया गया है।''

10. **यह नोट करते हुए कि 30.9 2019 की स्थिति के अनुसार डाकघर बचत बैंक में 1.61 करोड़ निष्क्रिय खाते (डाकघर बचत प्रमाण पत्र सहित) थे जिनमें कुल 12037.21 करोड़ रुपए जमा थे तथा इसमें से 1.02 करोड़ परिपक्व अदावाकृत प्रमाण पत्र थे जिनका मूल्य 5475.93 करोड रूपए था, समिति ने सिफारिश की थी कि डाक विभाग द्वारा इन निधियों को सही मालिकों को देने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। समिति ने यह भी**

**सिफारिश की थी कि यह सुनिश्चित किया जाए कि दुबारा ऐसा न हो तथा केवाईसी मानदंड के कड़े अनुपालन तथा नियमित रूप से नामिनी नामांकित करनेमें सजगतापूर्वक कार्रवाई करने पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई टिप्पण से समिति नोट करती है कि विभाग ने कुछ उपाय किए हैं, जैसा कि विभाग की वेबसाइट पर अदावाकृत लेखों का ब्यौरा प्रकाशित करना, सर्किल को स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक तौर पर प्रचार करने के लिए अदावा कृत खातों का ब्यौरा देने का विज्ञापन देने का निर्देश देना, ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा घर घर जाकर अभियान चलाना आदि। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप 31.03.2020 तक कुल 417 जमाकर्ताओं को उनके देय का भुगतान किया गया है। समिति का मत है कि उपर्युक्त उपाय अपर्याप्त हैं और इनसे महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। यदि 31 मार्च 2020 तक की उपलब्धियों को संकेतक माना जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग के उपर्युक्त उपाय केवल कागजों पर हैं तथा वास्तविक रुप से उतनी प्रगति नहीं हुई है। समिति महसूस करती है कि विभाग के सामने कार्य बड़ा है लेकिन कठिन नहीं। क्योंकि इस विभाग पर जनता का विश्वास है और इसकी साख है, इसलिए यह सुनिश्चित करना विभाग का कर्तव्य होना चाहिए कि वह इस कार्य को गंभीरता से ले। ऐसा न कर पाने पर जनता में विभाग की साख एवं विश्वास घटेगा। यह विचार करते हुए कि अभी भी विभाग में बड़ी संख्या में अदावाकृत प्रमाण पत्र हैं। समिति एक बार पुन: अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराती है कि विभाग द्वारा निधियों को सभी संभव तरीके से उपयुक्त स्वामियों या उनके विधिक उत्तराधिकारियों/नामांकित व्यक्तियों को देने के प्रयास किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो कठोर केवाईसी मानदंड बनाए जाएं तथा नियमित रूप से नामांकित व्यक्तियों का नामांकन किया जाए। समिति को इस बारे में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।**

## सिफारिश संख्या 14

### डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर खोलना

11. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की थी -

''समिति ने नोट किया कि कॉमन सर्विस सेंटरों के शुभारंभ के लिए 100 डाकघरों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच मौजूद डिजिटल डिवाइड गैप को दूर करने के लिए एक प्रमुख रणनीतिक निर्णय है। समिति को सूचित किया गया कि डाक सेवाओं, संभार तंत्र, बीमा, पैन, मतदाता पहचान पत्र, आयुष्मान भारत, राज्य सरकार की नागरिक केंद्रित सेवाएं और विभाग और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सीएससी-एसपीवी द्वारा आपसी सहमति से कोई भी अन्य सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर और नामित डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्तमान में, सीएससी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सभी वाणिज्यिक और उपयोगिता सेवाएं, जिनमें डाक विभाग द्वारा प्रदान किए जा रहे उत्पादों और सेवाओं के साथ हितों का टकराव नहीं है, उन्हें भी डाकघरों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। विभाग वर्ष 2023 तक 6100 बड़े डाकघरों में सीएससी-एसपीवी सेवाओं की डिलीवरी के लिए प्रौद्योगिकी टाई अप स्थापित करेगा। समिति का विचार है कि डाकघरों में सीएससी खोलना एक स्वागत योग्य पहल है। हालांकि, समिति की इच्छा है कि विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने और उपरोक्त उत्पादों को बेचने के अलावा, विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सामानों और सेवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए जिसमें फास्टैग इत्यादि जैसी वस्तुएं भी शामिल हों। समिति को लगता है कि यह पहल विभाग के समग्र विकास में उसकी सहायता करेगी। समिति आगे सिफारिश करती है कि इस पहल को ग्रामीण और अगम्य क्षेत्रों और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण ऐसे राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों, जहां वित्तीय संस्थाओ की कमी या कोई प्रतिद्वन्दी नहीं है, में विस्तारित करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।''

**12.** विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है :

''अब तक 216 डाकघरों में सीएससी सेवाएं शुरू की गई हैं। पैन, इलेक्शन कार्ड, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधान मंत्री किसान योजना आदि जैसी नागरिक सेवाओं के लिए सरकारी सहित लगभग 100 सेवाएं तथा अनेक राज्य सरकार की सेवाएं डाकघरों के सीएससी काउंटरों के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। इन सेवाओं के अलावा, जनोपयोगी बिल भुगतान, बीमा प्रीमियम संग्रहण, आईआरसीटीसी टिकटिंग आदि

जैसी नागरिक सेवाओं के लिए व्यवसाय इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर विशेष प्रयोजनार्थ माध्यम की सहायता से 6100 डाकघरों से प्रदान की जाएंगी।"

13. **समिति ने नोट किया था कि 100 डाकघरों में सामान्य सेवा केंद्र शुरू करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी। समिति ने यह भी नोट किया था कि विभाग 2023 तक 6100 बड़े डाकघरों में सीएससी एसपीवी की सुपुर्दगी के लिए प्रौद्योगिकी टाई-अप बनाएगा। इस उपाय की प्रशंसा करते हुए समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि विभिन्न सेवाएं देने के अलावा विभाग द्वारा फास्टैग आदि जैसे मुद्दों सहित वस्तुओं एवं सेवाओं में वृद्धि के लगातार प्रयास किए जाने चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि इस उपाय को ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों तथा भौगोलिक दृष्टि से चुनौती वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहुंचाने पर ध्यान देना चाहिए। तथापि समिति की गई कार्यवाही टिप्पण से नोट करती है कि विभाग द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है क्योंकि अभी तक सीएससी सेवाएं मात्र 216 डाकघरों में शुरू की गई हैं। समिति को आश्चर्य है कि इस रफ्तार से काम करने पर विभाग 2023 तक 6100 बड़े डाकघरों में सीएससी-एसपीवी सेवाओं की सुपुर्दगी के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएगा। विभाग ने डाकघर सीएससी में फास्टैग जैसी मद को सम्मिलित करने के बारे में भी कोई उत्तर नहीं दिया है। विभाग के उत्तर में समिति की इस उपाय को ग्रामीण एवं अगम्य क्षेत्रों तथा भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तक पहुंचाने की सिफारिश के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। समिति सरकार के उत्तर से संतुष्ट नहीं है और महसूस करती है कि विभाग के गोलमाल उत्तर से समिति की इस आशंका को बल मिलता है कि विभाग ने समिति की सिफारिशों को ईमानदारी से लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किये। समिति यह जानना चाहती है कि 2023 तक 6100 डाकघरों में सेवाएं देने के लक्ष्य के मुकाबले यह सेवा मात्र 216 डाकघरों में क्यों शुरू की गई है तथा इन डाकघरों के चयन का मानदंड क्या है। इसलिए समिति अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराती है कि फास्टैग जैसी सेवाएं भी डाकघर सीएससी के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा विभाग द्वारा इस उपाय को ग्रामीण एवं अगम्य क्षेत्रों तथा भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए। समिति इस बात की**

**प्रतीक्षा करेगी कि समिति की सिफारिशों पर विभाग की क्या उपलब्धि रही और उसने इसके लिए क्या प्रयास किए हैं।**

## अध्याय - दो

## टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हे सरकार ने स्वीकार कर लिया है

### क्रम संख्या 1

**सकल व्यय**

डाक विभाग ने 6 फरवरी, 2020 को लोक सभा में राजस्व के अंतर्गत 34056.42करोड़ रुपए और पूंजी खंड के तहत 1131.21करोड़ रुपए के कुल 35187.63करोड़ रुपए की अनुदानों की मांगें (221-2020) रखा है। वर्ष 20-2019के दौरान बजटीय आबंटन का विश्लेषण से पता चलजा है कि सकल व्यय के तहत बीई में 30412करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ाकर आरई में 31715.88करोड़ रुपए कर दिया गया था और दिसम्बर 2019तक वास्तविक व्यय 22878.48करोड़ रुपए थी। उसी अवधि के दौरान पूंजी खंड के तहत बजट अनुमान चरण में 947.74 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी जिसे घटाकर 742.98 करोड़ रुपए कर दिया गया था और दिसम्बर 2019तक का वास्तविक उपयोग केवल 532.30 करोड़ रुपए था। समिति नोट करती है कि विभाग का सकल व्यय धीरे-धीरे वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है। वर्ष 17-2016के दौरान सकल व्यय 24211.85करोड़ रुपए था जो बढ़कर वर्ष 18-2017में 26018.84करोड़ रुपए और 2018-19 के दौरान 27994.35करोड़ रुपए हो गया। समिति नोट करती है कि वेतन और पेंशन दो प्रमुख घटक हैं और यह सकल व्यय का 90 प्रतिशत से अधिक है। विभाग ने बताया है कि एक ओर बढ़ती लागत और दूसरी ओर नागरिकों को सस्ती लागत पर यूनिवर्सल पोस्टल सेवाएं प्रदान करने की बाध्यता के कारण परिचालन खर्च में कटौती कराना उनके लिए संभव नहीं है। समिति को सूचित किया गया है कि विभाग तेल, पेट्रोल, डीजल की लागत में वृद्धि, मेल कंवेन्स के परिचालन व्यय, आईटी प्रेरण के कार्यान्वयन पर वार्षिक रख-रखाव अनुबंध आदि के बावजूद कई वित्तीय वर्षों में परिचालन व्यय को 9 प्रतिशत से कम करने में सक्षम है और विभाग परिचालन लागतों को कम करने के लिए आईटी सक्षम सेवाओं का जोर-शोर से उपयोग कर रहा है।

समिति का विचार है कि विभाग का बढ़ता सकल व्यय चिंता का कारण है क्योंकि सरकार के लिए बजटीय सहायता के माध्यम से विभाग के बढ़ते व्यय का वहन जारी रखना

व्यावहारिक नहीं हो सकता है। यह सही समय है कि विभाग को देश में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का अध्ययन करके खुद को फिर से पुनर्गठित करना चाहिए। समिति की इच्छा है कि सरकारी विभाग के रूप में कार्य करते समय विभाग को अपने कामकाज में कुछ सर्वोत्तम व्यवसाय प्रथाओं को लागू करके एक कुशल संगठन के रूप में उभरने का प्रयास करना चाहिए। समिति को उम्मीद है कि विभाग एक सेवा प्रदाता के रूप में समग्र परिचालन दक्षता बढ़ाने और सकल व्यय को युक्तितसंगत बनाने में सफल होगा।

**सरकार का उत्तर**

1. डाकघरों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सेवा प्रदान करने की कार्यकुशलता में सुधार लाने के उद्देश्य से सतत प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित 1,29,076 शाखा डाकघरों को, 'नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघरों का डिजिटल उन्नयन' (दर्पण) परियोजना के अंतर्गत, सिम आधारित हस्तचालित उपकरण मुहैया कराए गए हैं। इन उपकरणों की मदद से ये डाकघर, बैंकिंग एवं बीमा लेन-देन सहित ऑनलाइन डाक एवं वित्तीय कार्यकलाप करने में सक्षम हुए हैं।
2. डाक विभाग द्वारा पार्सल नेटवर्क का इष्टतम प्रयोग परियोजना प्रारंभ की गई है, ताकि ई-कॉमर्स के लाभ आम आदमी तक पहुंचाए जा सकें तथा कोने-कोने तक कनेक्टिविटी प्रदान कर ग्रामीण भारत को ई-कॉमर्स की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। सुचारू कार्य संचालन (वर्क फ्लो) तथा पार्सल हैंडलिंग क्षमता को इष्टतम बनाने के लिए संशोधित प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। नोडल संवितरण केंद्रों के माध्यम से पार्सलों की यंत्रीकृत सुपुर्दगी प्रारंभ की गई है।
3. डाक जीवन बीमा (पीएलआई) तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) के अंतर्गत प्रीमियम आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :- (i) बिक्री एवं विपणन ढांचे का पुनर्गठन (ii) बिक्रीकर्ता का कौशल विकास तथा प्रशिक्षण (iii)

प्रोत्साहन राशि का समय पर भुगतान (iv) प्रचालनात्मक कुशलता को बढ़ाने हेतु प्रक्रिया को सरल बनाना तथा बिक्री पश्चात् दी जाने वाली सेवा में सुधार।

4. सेवा प्रदाता के रूप में प्रचालनात्मक कार्यकुशलता में समग्र सुधार लाने के उद्देश्य से मेल संबंधी कार्यकलापों के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(क) अपंजीकृत थैलों की ट्रैकिंग सुविधा में सुधार लाने हेतु विभाग ने प्रत्येक थैले पर बार-कोडेड लेबल लगाने के माध्यम से अपंजीकृत मेल थैलों का अनिवार्य स्कैनिंग करने की शुरुआत की है।

(ख) वर्ष 2015 से, विभाग ने नन्यथा सॉफ्टवेयर की मदद से पत्र-पेटियों की इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस प्रारंभ की है। जनसामान्य द्वारा वेब टूल (http://appost.in/nanyatha/) की मदद से लॉग-इन कर पत्र-पेटियों की क्लीयरेंस की स्थिति ट्रैक की जा सकती है। पत्र-पेटियों की ई-क्लीयरेंस की सुविधा का सभी 23 सर्कलों में विस्तार किया गया है। इस सुविधा के अंतर्गत, देशभर के 2347 शहरों/कस्बों तथा 27,981 पत्र-पेटियों को कवर किया गया है।

(ग) विभिन्न डाक उत्पादों जैसे स्पीड पोस्ट, पंजीकृत पत्र/पार्सल, इलेक्ट्रॉनिक मनीआर्डर और सुपुर्दगी पर नकद भुगतान (कैश-ऑन डिलिवरी) वाली डाक-वस्तुओं की सुपुर्दगी संबंधी सूचना को रियल-टाइम में अद्यतन करने के उद्देश्य से विभाग ने लेखादेय डाक-वस्तुओं की सुपुर्दगी, एक मोबाइल आधारित डिलिवरी एप्लीकेशन - पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से करनी प्रारंभ की है।

(डाक विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28-5/109/बीजीटी(पीए)/पार्ट दिनांक 16.7.20)

**सिफारिश क्रम संख्या 2**

**<u>राजस्व प्राप्ति</u>**

समिति नोट करती है कि पिछले वर्षों के लिए विभाग की राजस्व प्राप्तियां उत्साहजनक रही हैं और यह दर्शाता है कि विभाग हर साल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि को बनाए रखने में

सक्षम रहा है। राजस्व प्राप्ति 2016-17 में 11511 करोड़ रुपए से बढकर 2017-18 में 12832.06 करोड़ रुपए और 2018-19 में 13195.68 करोड़ रुपए हो गई है। वर्ष 2019-20 का आंकड़ा 9003.82 करोड़ रुपए है जो, समिति को उम्मीद है, कि वित्तीय वर्ष के अंत में एक सम्मानजनक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। समिति ने विभिन्न उपायों जैसे पीओपीएसके यात्री आरक्षण प्रणाली, अधिक बचत बैंक खाते खोलने, स्पीड पोस्ट, बिजनेस पार्सल, लॉजिस्टिक्स पोस्ट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आदि, जैसी प्रीमियम सेवाओं को खोलने और राजस्व की संख्या बढ़ाकर राजस्व बढ़ाने के विभाग के प्रयासों की सराहना की। हालांकि समिति इस बात से चिंतित है कि राजस्व में वृद्धि से घाटा कम नहीं हुआ है। 2017-18 के दौरान, विभाग का राजस्व घाटा 12416.53 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 2018-19 के दौरान 13977.38 करोड़ रुपए हो गया था। वर्ष 2019-20 के लिए दिसम्बर, 2019 तक राजस्व घाटा 13326.09 करोड़ रुपए है। 2020-21 के दौरान, बीई में राजस्व घाटा 14394.17 करोड़ रुपए है। उपर्युक्त से, यह स्पष्ट है कि विभाग की बढ़ती राजस्व प्राप्तियों से बढ़ते सकल व्यय की भरपाई नहीं हो पाई है जिसके परिणामस्वरूप वर्षों से राजस्व घाटा बढ़ रहा है।

हालांकि समिति इतने विशाल डाक नेटवर्क के परिचालन व्यय में कटौती करने में विभाग के सामने आनी वाली बाधाओं को समझती है, लेकिन उसका सुविचारित मत है कि विभाग को कारोबार और कार्य क्षमता बढ़ाने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए, ताकि बढ़ा हुआ राजस्व प्राप्त हो और राजस्व घाटे को पाटा जा सके। समिति ने नोट किया कि डाकघरों के 'वन स्टॉप शॉप' के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि ग्राहकों को उनके दरवाजे पर सुविधा और अन्य साधन उपलब्ध कराने के लिए उपयोगिता सेवाएं प्रदान की जा सकें। इंडिया पोस्ट खुदरा पोस्ट के तहत सेवाएं प्रदान करके देश में डाकघरों के विशाल नेटवर्क का लाभ उठा रहा है जिसमें बिजली के बिल, टेलीफोन बिल, कर और शुल्क संग्रहण एवं रेलवे टिकटों का आरक्षण शामिल है। समिति का मानना है कि उपरोक्त पहल सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। समिति की इच्छा है कि विभाग त्वरित और कुशल नागरिक-केंद्रित सेवाओं के वितरण पर जोर दे ताकि अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। विभाग के अत्यधिक बढ़े राजस्व घाटे को देखते हुए समिति का मानना है कि आने वाले वर्षों में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा समाधान का कोई नया रास्ता निकाला जाना चाहिए।

**सरकार का उत्तर**

डाक विभाग ने राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी हेतु अनेक कदम उठाए हैं। डाकघर बचत बैंक योजनाओं के अंतर्गत अधिक संख्या में नए खाते खोलने के लिए अनेक अभियान चलाए गए, ताकि विभाग अधिकाधिक राजस्व अर्जित कर सके। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान हम 3.88 करोड़ नए खाते खोलने में सफल हुए। सुकन्या समृद्धि खातों के लिए "बालिका शक्ति अभियान" तथा "महिला दिवस अभियान" के नाम से विशेष अभियान पुन: चलाए गए और इनके अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में नए सुकन्या समृद्धि खाते खोलने के लिए कड़े प्रयास किए गए। इन प्रयासों के फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 28.58 लाख नए सुकन्या समृद्धि खाते खोलने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार, 31.03.2020 तक, इन खातों की कुल संख्या बढ़कर (संचयी रूप से) 1.71 करोड़ हो गई।

इसके अतिरिक्त, हमनें डाकघर बचत बैंक में कोर बैंकिंग समाधान की सुविधा के साथ-साथ अंतरा-प्रचालन इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी प्रारंभ की है, जिससे ग्राहकों को 'कभी भी, कहीं भी' बैंकिंग सुविधा का लाभ मिला है तथा विभाग की लागत में काफी कमी आई है एवं राजस्व में बढ़ोतरी हुई है।

2. 'डिजिटल इंडिया' की 5वीं वर्षगांठ पर, डिजिटल एवं नकदी पर कम आधारित अर्थव्यवस्था तथा डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करते हुए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाते खोले गए। दूर-दराज के क्षेत्रों में आईपीपीबी तथा आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) की सुविधा मुहैया कराने हेतु कैंप आयोजित किए गए, ताकि देश के कोने-कोने में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा सके।

3. डाक विभाग, डाकघरों के अपने विशाल नेटवर्क का प्रयोग कर अनेक नागरिकोन्मुखी सेवाएं जैसेकि डाकघरों में आधार की सुविधा, डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके), भारतीय डाक यात्री आरक्षण प्रणाली (आईपी-पीआरएस) आदि की सुविधा प्रदान कर रहा है। इससे न केवल विभाग की सामाजिक प्रासंगिकता में बल्कि राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है।

4. डाकघरों के माध्यम से नागरिकोन्मुखी सेवाएं मुहैया कराने हेतु सामान्य सेवा केंद्रों-विशेष प्रयोजनार्थ संगठनों (सीएससी-एसपीवी) के साथ टाई-अप कर राजस्व में बढ़ोतरी हेतु प्रयास किए

जा रहे हैं। देशभर के 811 प्रधान डाकघरों में जीवन प्रमाण केंद्र कार्यरत हैं। डाकघरों में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को उनके लिए निर्धारित विशिष्ट काउंटरों के माध्यम से सेवाएं मुहैया कराए जाने हेतु दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

5. पार्सल बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पार्सल नेटवर्क का इष्टतम प्रयोग परियोजना के माध्यम से पार्सल प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाया गया है। इसके अंतर्गत, मानक पार्सल हब, नोडल डिलिवरी केंद्र और सड़क परिवहन नेटवर्क आदि स्थापित किए गए हैं।

(डाक विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28-5/109/बीजीटी(पीए)/पार्ट दिनांक 16.7.20)

**सिफारिश क्रम संख्या 4**

**पूंजी खंड**

समिति नोट करती है कि वर्ष 2019-20 के दौरान बजट अनुमान स्तर पर 947.74 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर 742.98 करोड़ कर दिया गया था और दिसम्बर, 2019 तक वास्तविक उपयोग 532.30 करोड़ रुपए था। संबंधित सेवा विक्रेताओं से आईटी अवसंरचना सेवाओं के लिए बिल प्राप्त न होने को निधियों के कम उपयोग को काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया गया है। विभाग ने कहा है कि आईटी पूंजी परिव्यय का भुगतान पूरी तरह से किया जाएगा और मार्च 2020 के अंत तक पूंजी व्यय किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के लिए समिति ने प्रस्तावित राशि और बजट अनुमान स्तर पर आबंटित राशि के बीच अंतर पाया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 के लिए विभाग द्वारा मांगी गई 1450.54 करोड़ रुपए की धनराशि के बदले उसे बजटीय अनुमान के चरण में 1131.21 करोड़ रुपए आबंटित किया गया है। विभाग ने जानकारी दी है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना सेवा, पार्सल और डाक कार्यालयों के स्तरोन्नयन, डाक भवनों के अनुरक्षण और स्तरोन्नयन इत्यादि के लिए प्राप्त बिलों का भुगतान करने से और इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक के विकास और इसके प्रचालन के लिए पूंजी निवेश से मार्च, 2021 तक इस धनराशि का पूर्ण उपयोग किए जाने की संभावना है।

समिति सिफारिश करती है कि विभाग वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग में उच्चतम स्तरों पर अभ्यावेदन देकर अपने पूंजीगत परिव्यय को बढ़ाने के लिए मामला उठाए। विभाग को आबंटित राशि के इष्टतम उपयोग के लिए योजना निर्माण प्रक्रिया को भी सुदृढ़ करना चाहिए और समिति को इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराना चाहिए।

**सरकार का उत्तर**

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1592.33 करोड़ रु. की पूंजीगत निधि वित्त मंत्रालय द्वारा पहले से ही आबंटित कर दी गई है। इसके अतिरिक्ति, यह भी उल्लेख किया जाता है कि सर्कलों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें और वीडियो कांफ्रेंस की जा रही हैं ताकि आबंटित निधि के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में घटाए गए संशोधित अनुमान की 883.07 करोड़ रु. की राशि की तुलना में 835.29 करोड़ रु. की निधि का उपयोग किया गया।

2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने का. ज्ञा. सं. 12(13)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के तहत नकदी प्रबंधन दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें बजट अनुमान 2020-21 का 20% ही व्यय करने की सीमा रखी गई है। अप्रैल से जून, 2020 की अवधि के दौरान विभाग 304.55 करोड़ रु. की राशि का उपयोग करने में समर्थ रहा है जो बजट अनुमान की उच्चतम सीमा का लगभग 20% है।

(डाक विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28-5/109/बीजीटी(पीए)/पार्ट दिनांक 16.7.20)

**सिफारिश क्रम संख्या 5**

**<u>योजनाओं के कार्यान्वयन की समग्र स्थिति</u>**

समिति नोट करती है कि डाक विभाग इस समय चार केन्द्रीय स्कीम अर्थात् डाक प्रचालन, मानव संसाधन प्रबंध, सम्पदा प्रबंधन और पोस्ट पेमेंट बैंक का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान बजटीय अनुमान के चरण में आबंटित राशि 1205.63 करोड़ रुपए को घटाकर 883.07 करोड़ रुपए कर दिया गया और दिसम्बर, 2019 तक वास्तविक उपयोग मात्र

648.99 करोड़ रुपए था। समिति नोट करती है कि केवल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को छोड़कर वर्ष 2019-20 के दौरान सभी स्कीमों में बजटीय अनुमान से संशोधित अनुमान के स्तर पर धनराशि में भारी कटौती की गई है। समिति आशा करती है कि विभाग चालू वित्त वर्ष के अंत तक विभिन्न चरण में आबंटित की गई धनराशि का उपयोग कर पाएगी। वर्ष 2020-21 के लिए समिति नोट करती है कि 2211.51 करोड़ रुपए की प्रस्तावित धनराशि के बदले बीई में केवल 1592.23 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। समिति को बताया गया है कि निधियों का भलीभांति उपयोग किए जाने के निमित्त अग्रिम योजना निर्माण और कार्यकलाप के अनुमोदन का अभिकल्प तैयार किया गया है।

समिति का विचार है कि डाक विभाग में आधुनिकीकरण की स्थिति अभी भी बहुत धीमी है और इससे समग्र कार्य निष्पादन पर दुष्प्रभाव पर रहा है। उपभोक्ता की बढ़ती हुई प्रत्याशा को पूरा करने, अधिक उत्पादकता, गुरुतर जवाबदेही और पारदर्शिता की लक्ष्य प्राप्ति के लिए इन योजनगत स्कीमों का जोर-शोर से कार्यान्वयन किए जाने की तात्कालिक आवश्यकता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समिति महसूस करती है कि डाक विभाग की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति में तेजी लाई जाए और इसलिए बजटीय अनुमान के चरण से संशोधित अनुमान के चरण में धनराशि में कमी किया जाना वस्तुत: अवांछनीय और अनपेक्षित है। समिति की यह प्रबल इच्छा है कि बजटीय अनुमान के चरण से संशोधित अनुमान के चरण में धनराशि में इस प्रकार की कटौती को वर्ष 2020-21 में दोहराए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और वर्ष 2020-21 के दौरान बजटीय अनुमान के चरण में आबंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग किया जाए।

**सरकार का उत्तर**

डाक विभाग द्वारा व्यय में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस वर्ष ब. प्रा. से सं. प्रा. स्तर पर निधि में कोई कमी न की जाए। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रथम तिमाही और द्वितीय तिमाही के लिए निर्धारित की गई उच्चतम सीमा के अनुसार व्यय किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के नकदी प्रबंधन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रथम तिमाही में 304.55 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया गया है।

(डाक विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28-5/109/बीजीटी(पीए)/पार्ट दिनांक 16.7.20)

**सिफारिश क्रम संख्या 6**

**<u>डाक प्रचालन (पोस्टल ऑपरेशन्स)</u>**

समिति नोट करती है कि पोस्टल ऑपरेशन्स डाक विभाग की एक बड़ी केन्द्रीय स्कीम है और इसकी 8 उप-स्कीमें हैं - यथा ग्रामीण कार्य और डाक नेटवर्क अभिगम, मेल ऑपरेशन्स, डाक जीवन बीमा प्रचालन और संवर्धन, सूचना प्रौद्योगिकी, अन्तर्वेशन और आधुनिकीकरण, व्यापक संवर्धन, विपणन शोध और उत्पाद विकास, डाक-टिकट ऑपरेशन्स और सेवा गुणवत्ता। वर्ष 2019-20 के दौरान बजटीय अनुमान के चरण में इसके लिए 773.47 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था जिसे संशोधित अनुमान के स्तर पर घटाकर 497.61 करोड़ रुपए कर दिया गया। दिसम्बर, 2019 तक वास्तविक उपयोग केवल 290.86 करोड़ रुपए रहा है। विभाग ने बताया है कि निधियों की कटौती कुछ तो विभाग की स्कीम के निमित्त निधियों में की जाने वाली सामान्य कटौती के कारण और कुछ लेखानुदान से संशोधित दिक्कतों के कारण वित्तीय वर्ष के आरंभिक 4 माह में धनराशि के मद्धिम उपयोग के कारण हुई है। वर्ष 2020-21 के लिए 1994.08 करोड़ रुपए की प्रस्तावित धनराशि के स्थान पर बजटीय अनुमान के चरण में मुख्यत: आईटी परियोजनाओं और अनुप्रयोग, अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय पार्सल, ई-कॉमर्स की सम्हलाई के लिए क्षमताओं और अवसंरचना के स्तरोन्नयन के लिए 1204.53 करोड़ रुपए आबंटित किया गया है।

समिति नोट करती है कि पोस्टल ऑपरेशन्स विभाग द्वारा लागू की जा रही सबसे बड़ी स्कीम है। वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु आबंटित 1592.23 करोड़ रुपए की धनराशि में से वर्ष 2020-21 के दौरान पोस्टल ऑपरेशन्स के लिए कुल आबंटित राशि का 76.65 प्रतिशत अर्थात् 1204.53 करोड़ रुपए दिया गया है। चूंकि, विभाग की अधिकांश महत्वपूर्ण योजनएं जैसे आईटी इंडक्शन एंड मॉडर्नाइजेशन, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ऑपरेशन्स, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ऑपरेशंस एंड प्रमोशन आदि पोस्टल ऑपरेशंस का हिस्सा हैं, समिति की इच्छा है कि विभाग उचित ध्यान दे और स्कीम को गंभीरता से लागू करे। इसलिए,

समिति विभाग से यह सुनिश्चित करने की अनुशंसा करती है कि प्रारंभिक चार महीनों के दौरान धन के कम उपयोग को जिससे संशोधित अनुमान (आरई) आबंटन में कमी होती है, उसे 2020-21 के दौरान दोहराया नहीं जाना चाहिए।

**सरकार का उत्तर**

डाक प्रचालन में व्यय में तेजी लाने के लिए डाक विभाग द्वारा कदम उठाए जा रहें हैं, ताकि इस वर्ष बजट प्राक्कलन से संशोधित प्राक्कलन स्तर पर निधि में कोई कमी न की जाए। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रथम तिमाही और द्वितीय तिमाही के लिए निर्धारित की गई उच्चतम सीमा के अनुसार व्यय किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निगरानी की जा रही है कि प्रथम तिमाही में 20% निधि का पूर्णत: उपयोग किया गया है।

(डाक विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28-5/109/बीजीटी(पीए)/पार्ट दिनांक 16.7.20)

**सिफारिश क्रम संख्या 9**

**<u>सूचना प्रौद्योगिकी का समावेशन एवं आधुनिकीकरण</u>**

विभाग ने समिति को सूचित किया है कि आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का क्रियान्वयन कुल 4909 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ किया जा रहा है। परियोजना में अन्य बातों के साथ, देश के लगभग 1,55,000 डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण, आधुनिकीकरण और नेटवर्किंग, मेल, मानव संसाधन, बैंकिंग, वित्त एवं लेखा सहित विभाग के सभी कार्यों के लिए केंद्रीय सर्वर आधारित एकीकृत, मॉड्यूलर और मापनीय समाधान शामिल है। धन के उपयोग के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि 2019-20 के दौरान, बजट अनुमान में 507.9 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी, लेकिन इसे घटाकर संशोधित अनुमान के स्तर पर 426.81 करोड़ रुपए किया गया और जनवरी 2020 तक किया गया वास्तविक उपयोग केवल 278.02 करोड़ रुपए था। समिति को सूचित किया गया है कि नए भारत के लिए नेटवर्क इंटीग्रेटर प्रोजेक्ट, वित्तीय सेवा समेकन परियोजना और ग्रामीण डाकघर हेतु डिजिटल उन्नयन के लिए संशोधित अनुमान में कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं मिली है। वर्ष 2020-21 के लिए 1312.14 करोड़ रुपए की प्रस्तावित धनराशि की तुलना में बजट अनुमान स्तर पर 784.43 करोड़ रुपए की राशि आवंटित

की गई है। समिति ने इस पर गौर किया कि आईटी परियोजनाओं के समर्थन के लिए इस मामले को व्यय विभाग के पास भेज दिया गया है और डाक विभाग द्वारा उनके साथ बैठकें आयोजित की गई हैं।

समिति का मत है कि सूचना प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करना किसी भी विभाग या संगठन के प्रत्येक व्यवसाय योजना का आवश्यक और अभिन्न अंग बन गया है। डाक विभाग अपने विशाल नेटवर्क और विविध सेवाओं के साथ सूचना प्रौद्योगिकी का समावेशन और आधुनिकीकरण के महत्व को शायद ही ज्यादा जोर दिया जा सके। सर्वोत्तम ग्राहक सेवाएं प्रदान करने और प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार लाने के लिए समिति चाहती है कि विभाग को अपनी योजना के अंतर्गत उिचत उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए और सभी सूचना प्रौद्योगिकी समावेशन और आधुनिकीकरण परियोजनाएं यथाशीघ्र पूरा करना चाहिए। समिति चाहती है कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि आरंभ से ही परियोजना के कार्यान्वयन में गति लाने के लिए संशोधित अनुमान चरण में कमी करने से बचा जा सके।

**सरकार का उत्तर**

सर्वोत्तम ग्राहक सेवाएं प्रदान करने और प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार लाने के लिए, हम इस स्कीम के तहत समुचित उपयोग को सुनिश्चित करेंगे। यह भी बताया जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना के सभी साइलों जैसे चेंज मैनेजमेंट, मेल प्रचालन हार्डवेयर  पूरे हो चुके हैं अथवा कार्यान्वयन के स्तर पर हैं और प्रचालन तथा रख-रखाव के चरण में हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत अधिकतम निधि का उपयोग करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ताकि संशोधित प्राक्कलन में कमी करने से बचा जा सके।

(डाक विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28-5/109/बीजीटी(पीए)/पार्ट दिनांक 16.7.20)

## अध्याय - तीन

## सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

### सिफारिश क्रम संख्या 8

**पोस्टल सेवाएं प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस लेवी**

समिति नोट करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा विभिन्न सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निधियां यूनिवर्सल सर्विस लेवी के संग्रह से उपलब्ध करायी जाती हैं। समिति नोट करती है कि डाक विभाग के पास भौगोलिक स्थिति, आय स्तर या किसी अन्य विचार के बिना नागरिकों के दरवाजे पर डाक सेवाएं प्रदान करने हेतु एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) है। कोरियर और निजी डाक सेवा प्रदाता अपने लक्षिति जनसांख्यिकी और भौगोलिक स्थिति को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं ताकि वे आसानी से लाभ कमा सके है। विभाग ने समिति को सूचित किया कि यूनिवर्सल एक्सेस लेवी लगाने का विचार देश भर में डाक क्षेत्र के समान विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। हालांकि, इस तरह के लेवी के निहितार्थ को समझने के लिए अधिक गहराई से जांच करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण और भौगोलिक रूप से अलग-थलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के दरवाजे तक विभिन्न सेवाएं प्रदान करने और प्रतिषेधक लागतों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह ग्रामीण और गैर-समावेशित गांवों को डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करने हेतु यूएएल की संभावना तलाशे।

### सरकार का उत्तर

डाक विभाग ने मामले की जांच की है। भारतीय डाकघर अधिनियम भारत में निजी कूरियर उद्योग को नियंत्रित नहीं करता। भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में सार्वभौमिक

सेवा दायित्व के लिए सार्वभौमिक सेवा शुल्क लगाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इस समय सार्वभौमिक सेवा शुल्क (यूएएल) लगाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। कूरियर उद्योग के निजी सेवा प्रदाताओं को किसी प्राधिकरण से कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें केवल कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में ही पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। अत: यह बताया जाता है कि परिणामी सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ), डाक विभाग के संदर्भ में संभव नहीं हैं क्योंकि ये दूरसंचार विभाग में विद्यमान हैं।

(डाक विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28-5/109/बीजीटी(पीए)/पार्ट दिनांक 16.7.20)

## अध्याय - चार

## सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार का उत्तर स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

### सिफारिश क्रम संख्या 7

**<u>वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित (एलडब्ल्यूई) जिलों सहित उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शाखा कार्यालय (बीओ) खोलना</u>**

समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि सुरक्षा पर संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार 2019-20 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 2000 बीओ खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि वित्त मंत्रालय ने इन बीओ के लिए आवश्यक शाखा पोस्टमास्टरों/ सहायक शाखापोस्टमास्टरों के पद सृजन के लिए अनुमति नहीं दी। समिति ने नोट किया कि वित्त मंत्रालय ने पहले ही एलडब्ल्यूई जिलों में 2000 शाखा डाकघरों को खोलने के लिए अपेक्षित पदों की मंजूरी के लिए अनुरोध किया है, लेकिन उनके द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई। विभाग 2063 के बजट अनुमान लक्ष्य एलडब्ल्यूई जिलों में केवल 231 डाकघर खोलने में और उत्तर-पूर्व में 16 डाकघरों के बजट अनुमान लक्ष्य के विरुद्ध 2 डाकघर खोलने में सक्षम रहा है जो कि दु:खद है। बीई 2020-21 में एलडब्ल्यूई क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य 2355 है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह 18 है। यह स्थिति एलडब्ल्यूई क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों की उपेक्षा के लिए स्थिति का संकेतक है।

समिति यह नहीं समझने पा रही है कि वित्त मंत्रालय ने परियोजना से संबंधित पदों के सृजन की अनुमति क्यों नहीं दी जबकि इसके लिए सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने पहले ही अधिदेश दे दिया गया था। इससे न केवल एलडब्ल्यूई क्षेत्रों और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में डाक सेवाओं के विस्तार संबंधी परियोजना को लागू करने में देरी हुई, जो कि वंचित क्षेत्र हैं, बल्कि इससे सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के निर्णय को भी पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। यह देखते हुए कि एलडब्ल्यूई और एनईआर दोनों क्षेत्रों में विभिन्न कमियों का सामना करना पड़ रहा है। समिति की इच्छा है कि इन क्षेत्रों में 2373 डाकघरों को जल्द खोला जाए। तदनुसार,

इस संबंध में समिति की चिंता से वित्त मंत्रालय को अवगत कराया जाए ताकि जल्द अपेक्षित पदों के सृजन की मंजूरी दी जाए।

समिति की यह भी इच्छा है कि सभी पोस्ट ऑफिस जो अलाभप्रद स्थानों पर स्थित हैं, उन्हें अधिक उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए और नए पोस्ट ऑफिस खोलने के दौरान सभी के लिए स्थानगत लाभ के बारे में पर्याप्त ध्यान रखा जाए।

**सरकार का उत्तर**

चालू वित्तीय वर्ष (2020-21) के दौरान भी, वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 2000 शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। ये शाखा डाकघर खोलने के लिए, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का अनुमोदन मांगा गया है। यह मामला अभी भी वित्त मंत्रालय के पास लंबित है। माननीय संचार मंत्री ने प्रस्ताव के शीघ्र अनुमोदन के लिए इस मामले को अर्ध-सरकारी रूप से, 03.06.2020 को माननीय वित्त मंत्री के समक्ष उठाया है।

(डाक विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28-5/109/बीजीटी(पीए)/पार्ट दिनांक 16.7.20)

**समिति की टिप्पणियां**

**(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 7 देखें)**

**सिफारिश क्रम संख्या 13**

**<u>डाकघर बचत बैंक में निष्क्रिय खाते</u>**

समिति यह नोट करती है कि 30.09.2019 तक, डाकघर बचत बैंक से 1.61 करोड़ सुप्त / निष्क्रिय खाते (डाकघर बचत प्रमाणपत्र सहित) हैं जिनमें कुल 12037.21 करोड़ रूपए राशि जमा हैं। इनमें से 1.02 करोड़ परिपक्व हो चुके बेदावा प्रमाणपत्र हैं जिनका मूलय 5475.93 करोड़ रूपए हैं। समिति को यह बताया गया है कि वित्त मंत्रालय जो इन निधियों को नियंत्रित

करता है, ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए बैंकों और डाकघरों में पड़ी लावारिस राशि का उपयोग करने के लिए वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि नियम जारी किए हैं। सभी संबंधितों की जानकारी के लिए निर्धारित मानदंडों के तहत आने वाले सभी खातों को इंडिया पोस्ट वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया है। ऐसे मामलों के निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और ऐसे खातों की सूची भी सर्किलों (पोस्टऑफिस वार) के साथ साझा की गई है और सर्कलों को व्यापक प्रचार के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देने का भी निर्देश दिया गया है। उन्हें डाकघरों में कार्यालय सूचना पट्टों पर सूचित करने और डाकिया, ग्रामीण डाक सेवकों और लघु बचत एजेंटों के माध्यम से डोर टू डोर अभियान चलाने के लिए भी कहा गया है। नियमित निगरानी की जा रही है और उस पर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर्कलों के साथ एक गूगल स्प्रेडशीट भी साझा की गई है। हालांकि, सच्चाई यह है कि अब तक मात्र 201 ऐसे खातों का निपटान 55.99 लाख रूपए में किया गया है। यह आंकड़ा बेहद कम है।

समिति को विभाग की ओर से यह पूरी तरह से अनुचित और नैतिक रूप से गलत लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में निष्क्रिय खाते अभी भी मौजूद हैं। विभाग द्वारा किया गया प्रयास बहुत कम है क्योंकि अभी तक, कुल निष्क्रिय खातों की संख्या का मात्र 0.001 प्रतिशत ही निपटाया गया है। इसलिए, समिति का सुझाव है कि सही मालिकों को धन लौटाने के लिए समाचार पत्रों और संचार के अन्य साधनों में विज्ञापनों/कानूनी नोटिसों के माध्यम से जीवित खाता धारकों और/या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/ नामांकित लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया जाना चाहिए। समिति को आश्चर्य है कि इतनी बड़ी संख्या में निष्क्रिय खाते अभी भी मौजूद हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए यह फिर से दोहराया नहीं जाए, किसी भी खाते को खोलने या कड़े केवाईसी मानदंडों और नामिती का पदनाम के माध्यम से इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के समय पूर्वगामी कार्रवाई पर नियमित रूप से विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, समिति को उम्मीद है कि विभाग इस मामले में कुछ प्रत्यक्ष प्रगति करेगा और लावारिस निधियों को उनके सही मालिकों को लौटाने में हुई प्रगति से उसे अवगत कराया जाएगा।

## सरकार का उत्तर

विभाग ने बेदावा खातों के निपटान के लिए वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि नियमों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित स्कीम के अनुसार त्वरित कार्रवाई की है। बेदावा खातों के ब्यौरे विभाग की वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर प्रकाशित किए गए हैं। मामलों को प्रोसेस करके इनका निपटान करने के लिए विस्तृत एसओपी तैयार कर ली गई है तथा तदनुसार इसे क्षेत्रीय स्थापनाओं के साथ अनुपालनार्थ साझा किया गया है। सर्कलों को, व्यापक प्रचार के लिए स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से बेदावा खातों के ब्यौरे विज्ञापित करने के लिए अनुदेश दिए गए हैं। इन ब्यौरों को डाकघरों के सूचना पट्टों पर भी दर्शाया गया है। बीट पोस्टमैन/ग्रामीण डाक सेवकों के जरिए घर-घर अभियान चलाया गया है ताकि ग्राहकों/कानूनी उत्तराधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जा सके, जिससे कि वे अपने दावे प्रस्तुत कर सकें।

समिति के सातवें प्रतिवेदन में निहित अनुदेशों के मद्देनजर अब हम जमाकर्ताओं / दावेदारों में बेदावा खातों के व्यापक प्रचार के लिए इस कार्रवाई में और तेजी ला रहे हैं। सर्कलों को पुन: अनुदेश दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वे इस काम में और तेजी से कार्य करें ताकि अधिकतम दावों में कार्रवाई करके उनका निपटान किया जा सके। मानीटरिंगकी प्रक्रिया को भी मजबूत किया जा रहा है। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप 31.03.2020 तक 417 जमाकर्ताओं को उनकी देय राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(डाक विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28-5/109/बीजीटी(पीए)/पार्ट दिनांक 16.7.20)

## समिति की टिप्पणियां

**(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 10 देखें)**

## सिफारिश क्रम संख्या 14

**<u>डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर खोलना</u>**

समिति ने नोट किया कि कॉमन सर्विस सेंटरों के शुभारंभ के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट 100 डाकघरों में शुरू किया गया है, जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच मौजूद डिजिटल डिवाइड गैप को दूर करने के लिए एक प्रमुख रणनीतिक निर्णय है। समिति को सूचित किया गया कि डाक सेवाओं, संभार तंत्र, बीमा, पैन, मतदाता पहचान पत्र, आयुष्मान भारत, राज्य सरकार की नागरिक केंद्रित सेवाएं और विभाग और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सीएससी-एसपीवी द्वारा आपसी सहमति से कोई भी अन्य सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर और नामित डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्तमान में, सीएससी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सभी वाणिज्यिक और उपयोगिता सेवाएं, जिनमें डाक विभाग द्वारा प्रदान किए जा रहे उत्पादों और सेवाओं के साथ हितों का टकराव नहीं है, उन्हें भी डाकघरों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। विभाग वर्ष 2023 तक 6100 बड़े डाकघरों में सीएससी-एसपीवी सेवाओं की डिलीवरी के लिए प्रौद्योगिकी टाई अप स्थापित करेगा। समिति का विचार है कि डाकघरों में सीएससी खोलना एक स्वागत योग्य पहल है। हालांकि, समिति की इच्छा है कि विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने और उपरोक्त उत्पादों को बेचने के अलावा, विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सामानों और सेवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए जिसमें फास्टैग इत्यादि जैसी वस्तुएं भी शामिल हों। समिति को लगता है कि यह पहल विभाग के समग्र विकास में उसकी सहायता करेगी। समिति आगे सिफारिश करती है कि इस पहल को ग्रामीण और अगम्य क्षेत्रों और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण ऐसे राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों, जहां वित्तीय संस्थाओ की कमी या कोई प्रतिद्वन्दी नहीं है, में विस्तारित करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

## सरकार का उत्तर

अब तक 216 डाकघरों में सीएससी सेवाएं शुरू की गई हैं। पैन, इलेक्शन कार्ड, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधान मंत्री किसान योजना आदि जैसी सरकार से नागरिक सेवाओं सहित लगभग 100 सेवाएं तथा अनेक राज्य सरकार की सेवाएं डाकघरों के सीएससी काउंटरों के

माध्यम से प्रदान की जाएंगी। इन सेवाओं के अलावा, जनउपयोगी बिल भुगतान, बीमा प्रीमियम संग्रहण, आईआरसीटीसी टिकटिंग आदि जैसी बिजनेस से नागरिक सेवाएं भी इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर विशेष प्रयोजनार्थ माध्यम की सहायता से 6100 डाकघरों से प्रदान की जाएंगी।

(डाक विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28-5/109/बीजीटी(पीए)/पार्ट दिनांक 16.7.20)

**समिति की टिप्पणियां**

**(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 13 देखें)**

## अध्याय - पांच

## सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरमि प्रकृति के हैं

### सिफारिश क्रम संख्या 3

**<u>वसूली</u>**

समिति यह नोट करती है कि विभाग वसूली से राजस्व अर्जित कर रहा है। वसूली, विभाग द्वारा कस्टम ड्यूटी के संग्रह, रेलवे को पेंशन के भुगतान पर मिले कमीशन, डीओटी/बीएसएनएल/एमटीएनएल के पेंशन वितरण पर कमीशन, वेस्टर्न यूनियन मनीट्रांसफर से प्राप्त स्प्रेड मार्जिन का हिस्सा, डाक विभाग को डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) आदि से प्राप्त लाभ के रूप में अर्जित राजस्व है। समिति ने नोट किया कि विभाग ने 2017-18 में 770.25 करोड़, 2018-19 में 821.29 करोड़ रुपए और 2019-20 में दिसम्बर, 2019 तक 548.54 करोड़ रुपए की राशि अर्जित की थी। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान वसूली 953.00 करोड़ रुपए आंकी गई है जो 2019-20 के बजट अनुमान की तुलना में 11.16% की वृद्धि होगी। समिति को यह भी सूचित किया गया है केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों / संगठनों पर बकाया के रूप में 377.04 करोड़ रुपए की राशि लंबित है जिनमें से 310 करोड़ रुपए (लगभग)बीएसएनएल और एमटीएनएल के किराए के रूप में बकाया है। यह वरिष्ठ स्तर पर बैठकों के बावजूद है। शेष बकाया विभिन्न अवधियों के लिए विभिन्न सर्कलों में लंबित डॉट / बीएसएनएल / ईपीएफओ / सीएमपीएफ / रेलवे से डाकघरों के माध्यम से डिस्पेंसरी शुल्क / टेलीग्राम हैंडलिंग शुल्क / पेंशन वितरण पर कमीशन के रूप में है।

समिति यह नोट कर चिंतित है कि इतनी बड़ी राशि अभी भी बीएसएनएल और एमटीएनएल से देय है। समिति इसके कारणों को जानना चाहेगी। यह निश्चित रूप से बीएसएनएल और एमटीएनएल की ओर से निधियों के कुप्रबंधन को दर्शाता है कि उन पर इनती बड़ी राशि का बकाया देय है। समिति चाहती है कि सभी लंबित बकाया राशि का अविलंब भुगतान किया जाए। इस संबंध में समिति की इस चिंता से दूरसंचार विभाग को अवगत कराया

जाए और उनसे राशि की वसूली के लिए सभी प्रयास किए जाएं। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग को और अधिक सरकारी विभागों / संगठनों को शामिल करने का प्रयास करने चाहिए ताकि वसूली के माध्यम से राजस्व अर्जन में और अधिक वृद्धि हो।

सरकार का उत्तर

बीएसएनएल और एमटीएनएल से किराए के रूप में बकाया देय राशि का भुगतान न किए जाने के संबंध में समिति की चिन्ता के बारे में दूरसंचार विभाग को इस अनुरोध के साथ अवगत करा दिया गया है कि और विलम्ब किए बिना, लंबित देय राशि का भुगतान कर दिया जाए, देखें डाक विभाग का अर्ध-सरकारी पत्र सं. बीयू-19/1/2020-बिल्डिंग दिनांक 05.06.2020 (अनुबंध-I)।

(डाक विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28-5/109/बीजीटी(पीए)/पार्ट दिनांक 16.7.20)

**सिफारिश क्रम संख्या 10**

**सूचना प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन और आधुनिकीकरण में इंटरनेट कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दे**

समिति ने इस पर गौर किया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की बढ़ती समस्या ने डाकघर के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। विभाग ने कहा है कि तीन प्रकार के नेटवर्क कनेक्टिविटी मुख्य रूप से डाकघरों द्वारा उपयोग किए जाते हैं यथा एमपीएलएस / वायरलेस, वीपीएन ब्रॉडबैंड और डोंगल। प्रत्येक स्थान पर दो सेवा प्रदाता हैं अर्थात प्राथमिक एनएसपी और माध्यमिक एनएसपी। जब प्राथमिक नेटवर्क कनेक्टिविटी काम नहीं कर रही होती हैं, तो माध्यमिक नेटवर्क कनेक्टिविटी के माध्यम से काम होता है। कनेक्टिविटी की समस्याओं को दूर करने के लिए डाक विभाग के पास एक पूर्ण नेटवर्क निगरानी प्रणाली और सेवा डेस्क विद्यमान है। समिति ने इस पर गौर किया कि विभाग सेवा स्तर समझौते (एसएलए) के माध्यम से लिंक के कार्यनिष्पादन की निगरानी करता है और जहां भी आवश्यक एसएलए को प्राप्त करने में विफलता होती है, वहां जुर्माना लगाया जाता है और नेटवर्क इंटीग्रेटर, सहमत बैंडविड्थ के अनुसार लिंक प्रदान

करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। ऐसे कुछ स्थानों में विकल्प जिनमें नेटवर्क तकनीकी रूप से संभव नहीं है, में एनओएफएन (भारत नेट), वी-सैट और एफटीटीएच समाधान शामिल हैं। समिति का यह मानना है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की भरोसेमंद आपूर्ति के अभाव में वित्तीय सेवाओं सहित विभाग की विभिन्न सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। समिति का सुझाव है कि सेवा प्रदाता (एस) के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाए विभाग को पूर्वगामी कार्रवाई करनी चाहिए और निर्बाध आपूर्ति के लिए विश्वसनीय सेवा प्रदाताओं से सेवाएं लेनी चाहिए। यह समिति प्राथमिक और माध्यमिक एनएसपी को निविदाओं के आवंटन के साथ-साथ आपूर्ति की गई बैंडविड्थ तथा मौजूदा प्रदाताओं पर लगाए गए जुर्माने के विवरण के साथ निविदाएं देने के लिए मापदंड के बारे में अवगत होना चाहेगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी की बढ़ती समस्या को दूर करने के लिए समिति की इच्छा है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रावधान केवल दो सेवा प्रदाताओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि भारतनेट के तहत बनाए गए नेटवर्क का तेजी से उपयोग करने के लिए विभाग द्वारा भी प्रयास किया जाना चाहिए।

**सरकार का उत्तर**

आईटी परियोजना के नेटवर्क इंटिग्रेशन (एनआई) साइलो के अंतर्गत सभी कार्यालयों को सिंगल वाईड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) के तहत कवर किया गया है। तदनुसार डाक विभाग और सिफी टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड के बीच में नेटवर्क इंटिग्रेशन (एनआई) के रूप में कांट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। नेटवर्क इंटिग्रेटर ने प्रत्येक स्थान पर प्रमुख और गौण बैंडविड्थ सेवा प्रदाताओं द्वारा कनेक्टिविटी की प्रभार के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया गया।

प्रमुख और गौण एनएसपीको निविदाएं प्रदान करने के लिए कोई अलग से मापदंड नहीं था। एनआई परियोजना के लिए समग्ररूप से बोलियां आमंत्रित की गई थीं।

विभिन्न सर्कलों में उपलब्ध कराई गई बैंडबिड्थ 256 केबीपीएस और इससे ऊपर की थी। यहां पर यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ट्राई (टीआरएआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम बैंडविड्थ 512 केबीपीएस होना चाहिए, इसलिए 256 केबीपीएस के स्थानों को तदनुसार अपग्रेड किया गया है।

डाक विभाग और नेटवर्क इंटिग्रेटर द्वारा अंतिम रूप दिए गए सर्विस लेवल के समझौते के अनुसार निर्धारित सक्रियता अवधि (टाइम) के पूरा नहीं किए जाने पर एनएसपी पर विभाग निम्नलिखित पेनल्टी लगाता है:

| **निर्धारित अपटाइम** | **मासिक एनएसपी भुगतान के % में पेनल्टी** |
|---|---|
| सी (निर्धारित) अथवा इससे अधिक अपटाइम | 0 |
| सी माइनस 1% तक | 5 |
| सी माइनस 1%से 2%तक | 10 |
| सी माइनस 2%से 5% | 20 |
| सी माइनस 5%से 10% | 50 |
| सी माइनस 10%से अधिक | 100 |

तथा मौजूदा दोनों एनएसपी के लिए निर्धारित अपटाइम श्रेणीवार है जो निम्नानुसार है:

| **कार्यालयों की श्रेणी** | **एनएसपी1 के लिए निर्धारित अपटाइम (%)** | **एनएसपी2 के लिए निर्धारित अपटाइम (%)** |
|---|---|---|
| ए+ | 93.5 | 99.5 |
| ए | 92 | 99 |
| बी | 91 | 98 |
| सी | 90 | 97 |
| डी | 89 | 96 |
| ई | 88 | 95 |

देशभर में कुछ स्थान ऐसे हैं जो तकनीकी रूप से व्यवहारिक (टीएनएफ) नहीं हैं। विभाग ने इन स्थानों को न केवल भारत नेट के साथ व्यावहारिक बनाने के लिए प्रयास किया है बल्कि ऐसा करने के लिए उपलब्ध विभिन्न वैकल्पिक तरीके भी अपनाए हैं।

पोस्टल सर्कलों ने एनओएफएन/एफटीटीएच/ओएफसी आदि जैसे विभिन्न विकल्पों का प्रयोग करके टीएनएफ को कनेक्ट करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। संचालन समिति द्वारा

परियोजना के अनुमोदन और उचित प्रक्रिया के बाद विभिन्न सर्कलों को निधियां आबंटित कर दी गई हैं।

इंटरनेट कनेक्टिविटी में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए विभाग बहुसेवा प्रदाताओं के विकल्प पर काम कर रहा है।

(डाक विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28-5/109/बीजीटी(पीए)/पार्ट दिनांक 16.7.20)

**सिफारिश क्रम संख्या 11**

**संपदा प्रबंधन**

समिति ने नोट किया है कि संपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य डाक सेवाओं के लिए आसान पहुंच के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करना है। इस योजना में शौचालय का निर्माण, रूफ टॉप सोलर पावर पैक्स की स्थापना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की स्थापना और सुगम भारत अभियान के तहत रैंप और रेल उपलब्ध कराना शामिल है। वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमान 62.7 करोड़ रूपए था जिसे संशोधित अनुमान वर्ष 2019-20 में घटा कर 40 करोड़ रूपए कर दिया गया और दिसम्बर, 2019 तक वास्तविक उपयोग 17.63 करोड़ रूपए था। खराब उपयोग के लिए विभाग द्वारा उदधृतकारणों में से कुछ कर्मचारियों की अपर्याप्तता, प्रशासनिक देरी, निविदाओं को रद्द करना और विभाग के स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित मुकदमे की प्रक्रिया कोर्ट के मामलों का निपटारा नहीं होना है। समिति ने डाक भवनों के निर्माण और नवीनीकरण, विकलांगों के लिए रैंप का निर्माण, महिलाओं के लिए शौचालयों का निर्माण आदि जैसी गतिविधियों के तहत खराब प्रदर्शन को नोट किया है। एक अन्य मुद्दा जो समिति के ध्यान में आया है वह है कैडर नियंत्रण और भारी संख्या में रिक्तियों से संबंधित है। समिति को सूचित किया गया है कि सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए 150 करोड़ रूपए की प्रस्तावित राशि के विरूद्ध बजट अनुमान में 120.50 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं। गति बढ़ाने के लिए सर्कलों को निर्देश दिया गया है कि वे वित्तीय वर्ष 2020-21 की शुरूआत से पहले परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृतियां तैयार कर लें ताकि एक बार वित्तीय वर्ष की शुरूआत

में धन आबंटित हो जाने पर, प्रारंभिक अनुमान तैयार किया जा सके, व्यय स्वीकृति जारी की जा सके और निविदा समय पर मंगाई जा सके, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण / रखरखाव गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता होगी। सर्कलों को सलाह दी गई है कि वे अदालत के मामलों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द हल करें।

समिति का मत है कि डाकघर की कई इमारतें जर्जर हालत में हैं और तत्काल भवनों के नवीनीकरण और निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, डाकघरों की सूरत और छवि बढ़ाने के लिए, डाकघरों के नवीनीकरण को जल्द से जल्द पूरा करने की जरूरत है। यह देखते हुए कि सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग से संबंधित अपर्याप्त अधिकारियों / कर्मचारियों की पोस्टिंग के कारण विभाग को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परियोजनाकार्यान्वयन की प्रगति में बाधा पड़ रही है। अत: समिति चाहती है कि विभाग को पर्याप्त अधिकारियों / कर्मचारियों की पोस्टिंग के मामले को दूरसंचार विभाग के साथ और अधिकारियों /कर्मचारियों को डाक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाना चाहिए।

**सरकार का उत्तर**

संपदा प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, निम्नलिखित 8 नए डाकघर भवनों का निर्माण किया गया है:

| क्र.सं. | **निर्मित डाकघर का नाम** | **डाक सर्कल** |
|---|---|---|
| 1. | मछलीपटनम डाकघर | आंध्र प्रदेश |
| 2. | सुब्रामण्यपुरा डाकघर | कर्नाटक |
| 3. | वेंगरा डाकघर | केरल |
| 4. | अलीराजपुर डाकघर | मध्य प्रदेश |
| 5. | सांगानुर डाकघर | तमिलनाडु |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | मंडावेली डाकघर | |
| 7. | करांडा डाकघर, गाजीपुर | उत्तर प्रदेश |
| 8. | अलीगंज एक्सटेंशन डाकघर | |

इसके अतिरिक्त, 49 डाक भवनों की मरम्मत और 11 विरासती भवनों के परिरक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। 41 रूफटॉप सोलर पावर पैक, 35 वर्षाजल संग्रहण अवसरंचनाओं, 31 रैम्प/रेल का निर्माण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 09 नए डाकघरों और 50 नए लघु डाकघरों के निर्माण तथा 20 पुराने डाकघर भवनों की मरम्मत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए संबंधित डाक सर्कलों को पर्याप्त निधियां आबंटित की गई हैं।

पोस्टल सिविल विंग में अधिकारियों/कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या के संबंध में,डाक विभाग के अ.शा. सं. बीयू-19/1/2020-बिल्डिंग दिनांक 05.06.2020 (अनुबंध-।।) के तहत दूरसंचार विभाग को इस अनुरोध के साथ समिति की सिफारिश के बारे में सूचित किया गया है कि डाक विभाग में पर्याप्त संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की जाए तथा वे स्वयं डाक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।

(डाक विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28-5/109/बीजीटी(पीए)/पार्ट दिनांक 16.7.20)

**सिफारिश क्रम संख्या 12**

**<u>इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी)</u>**

समिति ने ध्यान दिया कि कई ग्रामीण स्तर की शाखा डाकघरों सहित 18000 से अधिक डाकघर हैं जो नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण आईपीपीबी सेवाओं के साथ रोलआउट नहीं हुए हैं और इन्हें तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं (टीएनएफ) के रूप में पहचाना गया है। आईपीपीबी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डाक विभाग के मूल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर रहा है। टीएनएफ स्थानों में, सेवा प्रदाताओं ने बुनियादी सुविधाओं की व्यवहार्यता

नहीं होने के कारण नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की है। इन टीएनएफ स्थानों में से कई नॉर्थ ईस्ट में हैं, भौगोलिक रूप से दूरदराज के द्वीप जैसे लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में हैं। टीएनएफ स्थानों का हिस्सा देश के 1,56,600 डाकघरों का 11.5 प्रतिशत है।

यह नोट करना दुर्भाग्यपूर्ण है कि 18000 से अधिक डाकघर मुख्य रूप से एनईआर में स्थित है, भौगोलिक रूप से दूरदराज के द्वीप जैसे लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में अभी भी तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं के रूप में वर्गीकृत हैं। यह देश में डिजिटल विभाजन और मौजूदा असंतुलन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। समिति का यह भी विचार है कि इन क्षेत्रों के दूरवर्ती होने के कारण, इन क्षेत्रों में किसी भी वित्तीय संस्थान की उपस्थिति लगभग नहीं के बराबर होगी। समिति की इच्छा है कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करे कि विभाग का अतिआवश्यक वित्तीय समावेशन का प्रयास भी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में, समिति का सुझाव है कि विभाग को इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर काम करना चाहिए। समिति का विचार है कि डिजिटल इंडिया का लक्ष्य तब तक अधूरा रहेगा जब तक सरकार की विभिन्न सेवाओं को उनके दरवाजे पर नहीं लाया जाता। जो भी स्थान कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए संभव नहीं हैं उन्हें वैकल्पिक मीडिया जैसे उपग्रहों और संचार के अन्य साधनों से जोड़ा जा सकता है। समिति चाहती है कि इस संबंध में हुई प्रगति से उसे अवगत कराया जाए।

**सरकार का उत्तर**

इस समय 18000 डाकघर तकनीकी रूप से व्यावहारिक नहीं हैं। शेष डाकघरों को समयबद्ध तरीके से समर्थ बनाने के लिए विभागीय स्तर पर उपयुक्त कार्रवाई शुरू की गई है। इन डाकघरों को सबीएस नेटवर्क से जोड़ने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जा रहा है। जैसे ही इन डाकघरों को डाक विभाग के सीबीएस नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा, वैसे ही इनके आईपीपीबी के

एक्सेस प्वाइंट के रूप में कार्य करने हेतु प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

(डाक विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28-5/109/बीजीटी(पीए)/पार्ट दिनांक 16.7.20)

**नई दिल्ली;** **डॉ. शशि थरूर,**

**4 फरवरी, 2021** **सभापति,**

**15 माघ, 1942 (शक)** **सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति**

**अनुबंध - दो**

**समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण**

**(सत्रहवीं लोक सभा)**

(देखिए प्राक्कथन का पैरा संख्या 5)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है<br>सि.क्र.सं. 1, 2, 4, 5, 6 और 9 | कुल संख्या 6<br>प्रतिशत 42.86 |
| 2. | सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती<br>सि.क्र.सं.1 | कुल संख्या 01<br>प्रतिशत 7.14 |
| 3. | सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार का उत्तर स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है<br>सि.क्र.सं. 7, 13 और 14 | कुल संख्या 03<br>प्रतिशत 21.43 |
| 4. | सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं<br>सि.क्र.सं. 3, 10, 11 और 12 | कुल संख्या 04<br>प्रतिशत 28.57 |